फर्द अहकाम

नाम न्यायालय S.D.O प्रथम जयपुर
श्रीमति राधा रावत बनाम गोविन्दराम वगैरा
केस संख्या Suit 70/2013

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	10.01.18	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। प्रार्थना-पत्र O1 R10 C.P.C खारिज किया जाता है तथा मुताबिक तुईजात के वादिया वाद अंतिम निस्तारित किया जाता है, विस्तृत निर्णय व अ० डिक्री पृथक से तैयार कर शामिल मिसल है। विस्तृत निर्णय/डिक्री मिसल है। पत्रावली फैसल-शुमार-नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम), जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर

राजस्व वाद संख्या : 70/2013
पीठासीन अधिकारी : आशीष कुमार , आर0ए0एस0

श्रीमती राधा रावत धर्मपत्नी श्री राधामोहन रावत, जाति महाजन, निवासी "भगत निवास", सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

- वादिया

बनाम

1. गोविन्दराम पुत्र श्री ग्यारसी, जाति माली, निवासी 49, मालियों की ढाणी, ग्राम सुमेल, तहसील व जिला जयपुर।

- प्रतिवादी

2. राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार जयपुर, तहसील जयपुर जिला जयपुर।

- प्रारूपिक प्रतिवादी

दावा तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय **दिंनाक – 10.01.2018**

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद ग्राम सुमेल, तहसील जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 164 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 गोविन्दराम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी और राजस्व भू-अभिलेखों में श्री गोविन्दराम का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था।

प्रतिवादी संख्या 1 गोविन्दराम ने अपनी तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 164 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में से पश्चिम की और की 2 बीघा भूमि दिनांक 22.03.2010 के पंजीकृत विक्रय कर कब्जा सम्मला दिया। उक्त विक्रय पत्र को उप पंजीयक सांगानेर (प्रथम) ने पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 648, पृष्ठ संख्या 82, क्रम संख्या 2010067001882 पर पंजीबद्व किया और विक्रय पत्र की प्रति अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 2187 के पृष्ठ संख्या 245 से 255 पर चस्पा की गई। उक्त विक्रय पत्र के संलग्न नक्शे में विक्रय की गई उक्त वर्णित 2 बीघा भूमि को पीले रंग से दर्शाया गया है और विक्रय पत्र के साथ ही खसरा नम्बर 164 में से विक्रय की गई 2 बीघा भूमि की सीमाओं की विस्तृत नापजोखकर जो नक्शा तैयार किया गया।

यह कि दिनांक 22.03.2010 के उपरोक्त वर्णित विक्रय पत्र द्वारा यद्यपि खसरा

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम) जयपुर

नम्बर 164 की पश्चिमी 2 बीघा विशिष्ट भूमि वादिया को विक्रय की गई थी ऐसी स्थिति में उक्त विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय की गई 2 बीघा भूमि की पृथक खाता कायम किया जाना आवश्यक था परन्तु पटवारी हल्का सुमेल ने विक्रय पत्र की प्रतिलिपि के आधार पर जो नामांतरकरण संख्या 550 भरकर प्रस्तुत किया उसमें वादिया को 40/57 हिस्से का और प्रतिवादी संख्या 1 को 17/57 हिस्से का सहकृषक होना दर्ज कर नामांतरकरण तस्दीक किया जाने हेतु प्रस्तुत किया गया और वादिया को नोटिस एवं सुनवाई का मौका दिये बिना ग्राम पंचायत सुमेल ने दिनांक 20.09.2010 को जो नामांतरकरण संख्या 550 तस्दीक किया वह संयुक्त खातेदारी के रूप में तस्दीक कर दिया गया जिसमें वादिया का हिस्सा 40/57 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 17/57 अंकित किया गया। नामांतरकरण संख्या 550 की पुश्त पर विक्रय की गई भूमि खसरा नम्बर 164 का जो नजरी नक्शा बनाया गया उसमें डोटेड लाईन से विक्रय की गई भूमि को पृथक से दिखाया गया है।

वादिया अधिकारी है कि वह दिनांक 22.03.2010 के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा खसरा नम्बर 164 कुल रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में से क्रय की गई पश्चिमी 2 बीघा भूमि का पृथक खाता कायम करावे और प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे कि वह वादिया की क्रयशुदा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर वादिया के कब्जे काश्त तथा उपयोग में अनुचित हस्तक्षेप ना करे तथा वादिया को उक्त भूमि से बेदखल करने की कोई कार्यवाही ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावें।

न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2017 को वादिया वाद में प्राथमिक डिक्री की गई तथा उक्त खसरा नम्बर 164 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में वर्तमान राजस्व रिकार्ड के सरस-नरस के आधार पर उभय पक्षों की मौजूदगी में राजस्थान काश्तकारी विभाजन नियम 18 104 की पूर्ण पालना करते हुये तहसीलदार जयपुर से कुर्रेजात प्रस्ताव चाऐ गये। तहसीलदार जयपुर को पत्रांक 355 दिनांक 27.01.2017 से कुर्रेजात प्रस्ताव चाहे गये। तहसीलदार जयपुर से पत्रांक केम्प/विजयपुरा/10 दिनांक 22.05.2017 के संलग्नक कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हुयें

यह कि प्रार्थीगण, प्रभाती देवी पत्नी भागीरथ सैनी पुत्री गोविन्दराम निवासी पाल्यावास तहसील–बस्सी , कोयली देवी पत्नी बाबूलाल सैनी पूत्री गोविन्द राम निवासी घासी कारोलान खो–नागोरियान रोड जयपुर तहसील व जिला– जयपुर व गायत्री देवी पत्नी गोपाल सैनी पुत्री गोविन्दराम निवासी घाटी कारोलान खो नागोरियान रोड जयपुर तहसील व जिला जयपुर की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 एंव सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पक्षकार बनाये जाने बाबत हाल आराजी खसरा नम्बर 164 रकबा 2 बीघा 17 बीस्वा के कम में पेश कर निवेदन किया गया है कि उक्त मुतवादिया आराजीयात मिन प्रार्थीगण का एक वाद

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

बाबत घोषणा एंव हुक्म इक्तनाई दवामी व उनवानी प्रभाती देवी व अन्य बनाम गोविन्दराम व अन्य प्रकरण संख्या 14/2017 माननीय न्यायालय समक्ष विचाराधीन है।

न्यायालय द्वारा प्रार्थना-पत्र 01R10CPC तथा कुर्रेजात प्रस्ताव पर बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण/01R10CPC प्रस्तुतकर्ता जिनके द्वारा अलग से वाद प्रस्तुत कर रखा है, उसमें अलग से पैरवी करावें। वादिया/केती उक्त खसरा नम्बर बाबत अपने जवाब में प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी सं.1 गोविन्दराम पुत्र ग्यारसा माली का नाम खाते दार कृषक के रूप नाम राजस्व भू-अभिलेखों में दर्ज था। श्री गोविन्दराम ने दिनांक 22.03.2010 को पंजीकृत विक्रय-पत्र द्वारा भूमि खसरा नं. 164 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में से पश्चिमी 2 बीघा भूमि का विक्रय पंजीकृत विक्रय-पत्र द्वारा वादिया को किया गया। ऐसे में वादिया स्वयं रिकार्डेड खातेदार होनें की हैसीयत से तकासमा करानें की अधिकारीणी है तथा वादिया द्वारा क्रम की गई भूमि के सम्बन्ध में किसी अपर न्यायालय द्वारा स्थगन भी नहीं है।

न्यायालय द्वारा प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन बाद न्यायालय इस निर्णय पर पहुँचा है कि प्रार्थना-पत्र 01R10CPC सारहीन होनें पर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार जयपुर द्वारा भिजवाये गये कुर्रेजात प्रस्ताव पर पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाना न्यायोजित है, ऐसे में पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-

क0 स0	खाता संख्या	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	217	राधा रावत पत्नी राधामोहन रावत जाति महाजन नि0 भगत निवास सरदार पटेल मार्ग सी–स्कीम जयपुर	164/1	2–00	जव–3 2–00	3.50
		कुल किता	1	2–00		3.50
2	217	गोविन्दराम पुत्र. ग्यारसा कौम माली सान्देह	164/2	0–17	चाही 3 0–10 जव 0–07	2.36
		कुल किता	1	0–17		2.36

उपर्युक्त अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन कर पृथक– पृथक खाते कायम करे व लगान का निर्धारण भी करें। अतिंम डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 10.01.2018 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम, जयपुर

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी प्रथम मुकाम जयपुर
ब अलजास आशीष कुमार आर.ए.एस.
श्रीमति राधारावत बनाम गोविन्दराम

दावा बाबत् तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत
मुकद्दमा नं. 70 सन् 2013 धारा 53 व 188 राज. काश्तकारी अधि.

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू — व हाजरी — मिनजामिन मुद्दई रूबरू — मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ग्राम सुमेल तहसील जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 164 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा का तहसीलदार जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव (क्रमांक 10 दिनांक 22.5.2017) अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। —

[P.T.O] पृष्ठ-2 पर

निज — मबलिक — बाबत् — खर्चा इस मुकद्दमे का मय सूद वगैरह — फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियत तक — को अदा करें।

वसूलियात तक — को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10-1 सन् 2018 को जारी किया गया।

दस्तखत उप खण्ड अधिकारी

ओहदा जयपुर (प्रथम), जयपुर

उप खण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		—	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		—
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

लगातार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर
उनवान राधा रावत V/S गोविन्दराम

...शेष

क्र०सं०	खाता संख्या	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	217	राधा रावत पत्नी राधा मोहन रावत जाति महाजन नि० भगत निवास सरदार पटेल मार्ग स्ती-स्कीम जयपुर	164/1	2-00	चाव-3 2-00	3.50
		कुल किता	1	2-00		3.50
	217	गोविन्दराम पुत्र ग्यारसा कौम माली सा० देह	164/2	0-17	चाही3 0-10 चाव 0-07	2.36
		कुल किता	1	0-17		2.36

उपर्युक्त अनुसार विभाजन कर प्रपत्र-2 खाते कायम करें व लगान का निर्धारण करें।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर